सं0—332/15—11—06—1499(3)/2004

प्रेषक,

जे0 एस0 दीपक
सचिव, बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
उ0 प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग—11

लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2006

विषय : बी0टी0सी0 चयन — 2004 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने अर्धशासकीय पत्रांक —राशै/14302/2005—06 दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 के अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि बी0टी0सी0 —2004 हेतु जारी शासनादेश संख्या—54/15—11—2004—1499(3)/04 दिनांक 20 फरवरी 2004 के प्रस्तर 4(क),(ख),(ग), (ड) में परिवर्तन किया गया है तथा उक्त शासनादेश के अन्य संगत बिन्दु यथावत् रहेंगे।

2— शासनादेश संख्या—54/15—11—2004—1499(3)/04 दिनांक 20 फरवरी 2004 के प्रस्तर 4(क),(ख),(ग) में परिवर्तन निम्नवत् हैं :—.

पूर्व व्यवस्था			परिवर्तित व्यवस्था
प्रस्तर—4 चयन की प्रकिया (क) शैक्षिक योग्यता		परीक्षा का गुणांक	
1— हाई स्कूल	प्राप्तांक प्रतिशत X	1/10	हाई स्कूल, इण्टर एवं स्नातक प्राप्तांक प्रतिशतों का योग
2— इण्टर	प्राप्तांक प्रतिशत X	2/10	
3— स्नातक	प्राप्तांक प्रतिशत X	4/10	

(ख) अधिभार 1— एन0सी0सी0 (अ) सी0प्रमाण पत्र 05 अंक	कोई अधिभार अंक नहीं रहेगा।
(ब) बी0 अथवा सी0—1 प्रमाण पत्र 03 अंक	कोई अधिभार अंक नहीं रहेगा।
2—खेलकूद (अ) राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग 05 अंक (ब) राज्य स्तर पर प्रतिभाग 03 अंक	कोई अधिभार अंक नही रहेगा। नवीन व्यवस्था इस शासनादेश के प्रस्तर—5 पर अवलोकनीय है।
(ग) लिखित परीक्षा 100 अंक	परीक्षा नहीं होगी ।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में बी0टी0सी0 —2004 के परिक्षार्थियों के चयन हेतु हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर जनपदवार वरीयता सूची के द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार पूर्व में प्रचलित शैक्षिक योग्यता की गणना की विधि में अन्तर किया गया है एवं अधिभार अंक व लिखित परीक्षा समाप्त कर दी गयी है।

3— उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या—54/15—11—2004—1499(3)/04 दिनांक 20 फरवरी 2004 के प्रस्तर 4 (ड) में जनपद स्तर पर गठित चयन समिति में भी परिवर्तन किया गया है । प्रशिक्षार्थियों के चयन हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् 'चयन समिति' गठित की जायेगी :—

(1)—	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2)—	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(3)—	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(4)—	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(5)—	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य सचिव

अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची तैयार कर चयन की समस्त कार्यवाही उपर्युक्त जनपदीय चयन समिति सम्पन्न करायेगी।

4— शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2004 के बिन्दु—3 में विकलांग अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्राविधान है, परन्तु कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 25 जनवरी, 1980 के प्रस्तर—2 के अनुसार समाज के अक्षम व्यक्तियों के लिए समूह—'ग' 'घ' की सेवाओं की सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट का प्राविधान है। अतः विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाय। समाज के ऐसे अक्षम व्यक्ति जो पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 08 सितम्बर, 2004 में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष के स्थान पर पॉच वर्ष की आयु की छूट का उल्लेख होने के कारण आवेदन करने से वंचित रह गये थे, किन्तु तद्समय पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करते थे, अपना आवेदन सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करा सकते हैं।

5— . उक्त के अतिरिक्त दो प्रतिशत सीटें ऐसे खिलाड़ियों के लिए आरक्षित की जायेंगी, जिन्होंने ओलम्पिक/राष्ट्रमण्डल/एशियाई खेलों में मान्यता प्राप्त खेलों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर किया हो।

6— उल्लेखनीय है कि बी0टी0सी0—2004 के प्रशिक्षार्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किए जाने की विज्ञप्ति पूर्व में दिनांक 08 सितम्बर, 2004 को प्रकाशित की गयी थी, परन्तु अब चयन मात्र शैक्षिक प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के आधार पर किया जाना है। अतः निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा चयन प्रक्रिया में इस परिवर्तन तथा विकलांग अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार की गई संशोधित व्यवस्था की सूचना जनसामान्य की जानकारी हेतु एक संक्षिप्त विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जायेगी । . उक्त विज्ञप्ति निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में बहुप्रचलित दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी। तत्पश्चात् इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर भी एक विज्ञप्ति का प्रकाशन जनपदीय समिति द्वारा जनपद में प्रचलित दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में कराया जायेगा।

7— निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 बी0टी0सी0—2004 हेतु प्राप्त समस्त आवेदन पत्र प्राचार्य, डायट्स को जनपदवार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । इसके अतिरिक्त निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय चयन समितियों के मार्गदर्शन हेतु चेकलिस्ट, समय—सारिणी,

विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध करायेंगे तथा अपेक्षित सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे जिससे कि प्राथमिकता के आधार पर चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जा सके।

भवदीय

18/3/06

(जे0 एस0 दीपक)
सचिव।

संख्या – 332 (1)/15–11–06 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– शिक्षा निदेशक, बेसिक/माध्यमिक, उ0प्र0, लखनऊ।
2– राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना, लखनऊ।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7– संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
8– समस्त प्राचार्य, डायट, उ0प्र0।
9– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
10– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0।
11– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुधाकर अदीब)
संयुक्त सचिव।